न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 22/2023

विकास पुत्र मैनपाल जाति अहीर, निवासी दरोली अहीर, जिला महेन्द्रगढ पुलिस थाना महेन्द्रगढ हरियाणा

.....प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना, सराना, अजमेर .....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल प्रार्थी अभिभाषक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम

आदेश

दिनांक– 01.06.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार परिवादी द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम सूचना संख्या 110/2022 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम तथा धारा 11 पशुओ के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम में दिनांक 21.11.2022 को पुलिस थाना सराना जिला अजमेर में दर्ज करायी गई। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना सराना द्वारा दौराने गश्त अज्ञात लोगो से मिली सूचना के आधार घटनास्थल पर पहुँचकर गौवंशीय पशु से भरे ट्रक संख्या आर.जे. 32 जीबी 8561 को दिनांक 21.11.2022 को मौके पर ही बिना किसी अनुसंधान अथवा जॉच के जब्त कर लिया गया । प्रार्थी उक्त ट्रक संख्या आर जे.32 जीबी 8561 का मालिक एवं स्वामी है। प्रार्थी के मालिकाना हक के उक्त ट्रक को भाडे पर दिया गया था । प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी कभी भी नही रही की उक्त ट्रक में किस सामान का परिवहन किया जायेगा । उक्त वाहन प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन करीब चार माह की अवधि से पुलिस थाना सराना में जब्तशुदा रखा हुआ है जिससे प्रार्थी की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रार्थी की आजीविका हेतु उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रकरा में जब्तशुदा वाहन की किसी प्रकार से आवश्यकता नही है तथा उक्त वाहन से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण हो चका है तथा प्रकरण में कोई बरामदगी शेष नहीं है। उम्त जब्ततशुदा वाहन पुलिस थाने पर जब्तशुदा हालात में पडे रहने से वाहन के क्षतिग्रस्त खराब तथा मूल्यहास होने की पूर्ण आशंका है क्योकि पुलिस थाना पर वाहन की रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है जिससे प्रार्थी को उक्त वाहन से होने वाली आय के बाबत आर्थिक नुकसान कारित होगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जार एफआईआर संख्या 110/2022 में पुलिस थाना सराना में जब्तशुदा ट्रक संख्या आरजे 32 जीबी 8561 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस सराना, जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने उपस्थित को सुना गया।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 21.11.2022 को पुलिस थाना सराना जिला अजमेर में दर्ज करायी गई। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना सराना द्वारा दौराने गश्त अज्ञात लोगो से मिली सूचना के आधार घटनास्थल पर पहुँचकर गौवंशीय पशु से भरे ट्रक संख्या आर.जे. 32 जीबी 8561 को दिनांक 21.11.2022 को मौके पर ही बिना किसी अनुसंधान अथवा जॉच के जब्त कर लिया गया । प्रार्थी उक्त ट्रक संख्या आर जे.32 जीबी 8561 का मालिक एवं स्वामी है। प्रार्थी के मालिकाना हक के उक्त ट्रक को भाडे पर दिया गया था । प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी कभी भी नही रही की उक्त ट्रक में किस सामान का परिवहन किया जायेगा । उक्त वाहन प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन करीब चार माह की अवधि से पुलिस थाना सराना में जब्तशुदा रखा हुआ है जिससे प्रार्थी की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रार्थी की आजीविका हेतु उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायहित में आंवश्यक है। उक्त प्रकरा में जब्तशुदा वाहन की किसी प्रकार से आवश्यकता नही है तथा उक्त वाहन से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण में कोई बरामदगी शेष नहीं है। उम्त जब्तशुदा वाहन पुलिस थाने पर जब्तशुदा हालात में पडे रहने से वाहन के क्षतिग्रस्त खराब तथा मूल्यहास होने की पूर्ण आशंका है क्योकि पुलिस थाना पर वाहन की रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है जिससे प्रार्थी को उक्त वाहन से होने वाली आय के बाबत आर्थिक नुकसान कारित होगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्राथ्री का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जार एफआईआर संख्या 110/2022 में पुलिस थाना सराना में जब्तशुदा ट्रक संख्या आरजे 32 जीबी 8561 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

थानाधिकारी पुलिस थाना सराना जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 18.04.2023 में अवगत कराया कि दिनांक 20.11.2022 को सूचना मिली की कुल लोगो ने एक ट्रक गौवंश का रूकवा रखा है । वहॉ पहुँचने पर एक ट्रक आरजे 3 जीबी 8561 को गांव के लोगो द्वारा रूकवाया हुआ था जिसके पीछे से डाला का खोलकर देखा तो खचा खच ट्रक में गोवंश भरा हुआ था जिनको चेक किया तो टक में 13 गाय व 4 नवजात बच्चे जिसमें दो मेल व दो फिमेल जो ट्रक में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुये मिले। ट्रक का चालक, खलासी, स्वामी मौके से ट्रक को छोडकर फरार हो गये जिनके द्वारा ट्रक में क्षमता से अधिक गौवंश भर रखा था जो आपस में टकराकर दर्ज से कर्राह रहे थे। जो गौवंश तस्करी हेतु परिवहन करना पाया गया है। ट्रक के चालक का यह कृत्य अपराध धारा 5,6,8,9 गोवंश अधिनिय 1995 व धारा 11 पशु कुरता अधिनियम का पाया गया है। जिस पर ट्रक नम्बार आरजे 32 जीबी 8561 को जब्त किया गया । मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर ट्रक को चालक नही होने के कारण प्राईवेट व्यक्ति से इस्टाट करवाया जाकर चलवाकर मौके से मय जब्तशुदा ट्रक नंबर आर.जे. 32 जीबी 9561 मय जब्तशुदा अवैध गौवंश बछडे कुल 13 गाय व 4 बछडे/बछडी को लेकर अभय गुरू जैन गौशाला शोकलिया पहुँचा । जहॉ पर व्यवस्थापक को अस्थायी सुपुदर्गी करने हेतु सुपुर्द किया गया । जब्तशुदा ट्रक संख्या आरजे. 32 जीबी 8561 को थाना परिसर में सुरक्षित खडा कराया गया । प्रकरण संख्या 110/22 धारा 5,6,8,9 गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु कुरता अधिनियम मं दर्ज कर अनुसंधान जिम्में

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

किया गया । प्रकरण में बाद अनुसंधान नतीजा चालानी आदेश प्राप्त किया जाकर चार्जशीट संख्या 112/2022 धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम व 11 (1) (डी) डी पशु कुरता अधिनियम दिनांक 30.11.2022 में कता किया गया । प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अभियुक्तगण श्री रविकुमार व श्री पीर मोहम्मद न्यायालय के आदेश से जमानत पर आजाद है।

हमने प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड़ जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि कि दिनांक 20.11.2022 को सूचना मिली की कुछ लोगो ने एक ट्रक गौवंश का रूकवा रखा है । वहॉ पहुॅचने पर एक ट्रक आरजे 3 जीबी 8561 को गांव के लोगो द्वारा रूकवाया हुआ था जिसके पीछे से डाला का खोलकर देखा तो खचा खच ट्रक में गोवंश भरा हुआ था जिनको चेक किया तो टक में 13 गाय व 4 नवजात बच्चे जिसमें दो मेल व दो फिमेल जो ट्रक में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुये मिले। ट्रक का चालक, खलासी, स्वामी मौके से ट्रक को छोडकर फरार हो गये जिनके द्वारा ट्रक में क्षमता से अधिक गौवंश भर रखा था जो आपस में टकराकर दर्द्व से कर्राह रहे थे। जो गौवंश तस्करी हेतु परिवहन करना पाया गया है। ट्रक के चालक का यह कृत्य अपराध धारा 5,6,8,9 गोवंश अधिनिय 1995 व धारा 11 पशु कुरता अधिनियम का पाया गया है। जिस पर ट्रक नम्बर आरजे 32 जीबी 8561 को जब्त किया गया । मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर ट्रक को चालक नही होने के कारण प्राईवेट व्यक्ति से इस्टाट करवाया जाकर चलवाकर मौके से मय जब्तशुदा ट्रक नंबर आर.जे. 32 जीबी 8561 मय जब्तशुदा अवैध गौवंश बछडे कुल 13 गाय व 4 बछडे/बछडी को लेकर अभय गुरू जैन गौशाला शोकलिया पहुॅचा । जहॉ पर व्यवस्थापक को अस्थायी सुपुदर्गी करने हेतु सुपुर्द किया गया ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा गौवशं को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा नं0 259/2022 धारा 5,8,9 राजस्थान गौवश पशु वध प्रतिषेध व आयात निर्यात प्रयोजन 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 डी पशु कुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 32 जी.बी. 9561 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। पुलिस थाना केकड़ी द्वारा जब्त वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 32 जी.बी. 9561 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना केकड़ी को जब्त वाहन ट्रक संख्या आर.जे. 32 जी.बी. 9561 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज सबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे । थानाधिकारी थाना केकड़ी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर